राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/19/37067   जयपुर,दिनांकः 26/11/2019

अधिसूचना

राज्य के नगरीय निकायों के क्षेत्र में व्यक्तियो द्वारा निजी सम्पत्ति के विक्रय, गिफ्ट, वसीयत आदि के आधार पर नाम हस्तानान्तरण कराया जाता है। नगरपालिकाओं में ऐसे नाम हस्तानान्तरण के संबंध में एकरूपता नही है, कि ऐसे प्रकरण किस स्तर से स्वीकृत किये जावे। इस कारण निकायो में अलग–अलग स्तर से नाम हस्तानान्तरण प्रकरणो को स्वीकृत करने की स्थिति है। सम्पत्ति का नाम हस्तानान्तरण का कार्य आम जनता से जुडा हुआ एवं दैनिक प्रकृति का कार्य है। सम्पत्ति के नाम हस्तानान्तरण के संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 118 में वर्तमान में निम्न प्रावधान हैः–

Sec.118. **Name of transferee to be substituted in the municipal registers.-** Whenever such transfer comes to the knolwdge of the Municipality either through such notice or otherwise and after such enquiry as may be necessary, the name of the transferee shall be substitufed in the municipal register for that of the person primarily responsible.

इसके अतिरिक्त Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultureal Land for Non-Agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 के नियम 27 में निम्न प्रावधान हैः–

27. **Transfer of name.-** In case of transfer of land, registered sale deed, gift deed, or Will or other relevant documents shall be submitted along with application to the Local Authority for transfer of name in favour of transferee. The transfer fees at the rate of rupees ten per square meter for every transfer shall be deposited along with the application:

Provided that no fee under this rule shall be charged in death cases.

उपरोक्त तथ्यो को दृष्ट्रिगत रखते हुए नगरीय निकायो में भूमि एवं उस पर स्थित अचल सम्पत्ति के नाम हस्तानान्तरण के कार्य के सरलीकरण एवं एकरूपता के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 118 एवं Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultureal Land for Non-Agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 के नियम 27 की शक्तियॉ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 (6) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी को एतद द्वारा प्रदत्त की जाती है। सम्पत्ति के नाम हस्तानान्तरण प्रकरणो का निस्तारण आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी के स्तर पर नियमानुसार किया जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/19/37068-37467   जयपुर,दिनांकः 26/11/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
03. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान
05. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान
06. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by CamScanner